संख्या-593/21-1-2002-1(5)/2000

प्रेषक,

श्री वी0के0 वार्ष्णेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, निगमों तथा
परिषदों के अध्यक्ष, मंडलायुक्त,
जिला अधिकारी, जिला जज तथा
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।

भाषा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2002

विषय:- सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन एवं त्रैमासिक सूचना भेजने के संबंध में ।

महोदय,

समस्त सरकारी कार्य हिंदी में अनिवार्यत: सम्पादित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक त्रैमास की सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराने की अपेक्षा शासनादेश सं0-34/21-1-2002-1(5)/2000, दिनांक 18 मार्च, 2002 द्वारा की गई थी ।

2- किन्तु अधिकांश कार्यालयों द्वारा उक्त त्रैमासिक सूचना शासन को नहीं भेजी जा रही है तथा कुछ कार्यालयों से त्रुटिपूर्ण/विरोधाभासी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं। कतिपय कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में कार्य सम्पादन का औचित्य अंग्रेजी आशुलिपिक का होना बताया जा रहा है । उक्त स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा इससे भाषा नीति का उल्लंघन सिद्ध होता है । टंककों, आशुलिपिकों एवं टंकण यंत्रों के संबंध में शासन की नीति शासनादेश सं0-2559/इक्कीस-3(10)/72, दिनांक 29 सितम्बर, 1972 पूर्व निर्धारित है ।

3- अत: इस संबंध में आपसे पुन: अपेक्षा की जाती है कि राजभाषा हिंदी संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये शासनादेश सं0-34/21-1-2002-1(5)/2000 दिनांक 18 मार्च, 2002 के पृष्ठभाग पर अंकित प्रारूप में प्रत्येक त्रैमास की सूचना शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाये । सूचना प्राप्त न होने को भाषा नीति का उल्लंघन माना जायेगा एवं यथा निर्धारित कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(वी0के0 वार्ष्णेय)
विशेष सचिव ।

संख्या- 593 (1)/21-1-2002-1(5)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र विक्रम अस्थाना)